

पत्र संख्या-गव्य (आ0-07) 02/2025-(40)
(डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग)
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

केदार नाथ सिंह,
निदेशक (गव्य) ।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णिया-प्रभारी-अररिया/बौका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/मधेपुरा/मुंगेर/
पूर्णिया/पटना/सुपौल/सारण/सिवान/कैमूर/प० चम्पारण/भोजपुर।

पटना -15, दिनांक-

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपत्रकोड 02-2404007960101, माँग संख्या-02 अंतर्गत विषयशीर्ष-33.01-सब्सिडी में कुल ₹ 72,60,000/- (बहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)35/2025-2415, दिनांक-02.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र भैंस पालन योजना" के अंतर्गत सभी वर्गों के लिये कुल ₹ 14,96,77,000/- (चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार रुपये) मात्र के लागत व्यय पर सब्सिडी के रूप में अनुदान देने हेतु स्वीकृत किया गया है।

- 2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र भैंस पालन योजना" के तहत विषयांकित विपत्रकोड के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 01 दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना की योजना हेतु ₹ 72,60,000/- (बहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र स्वीकृत किया गया है।
- 3) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिये सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 01 दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना की योजना के क्रियान्वयन हेतु विषयांकित बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि ₹ 72,60,000/- (बहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-2404007960101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-2404007960101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी		
		पूर्व आवंटन	वर्त० आवंटन	कुल योग:-
1.	72,60,000/-	0/-	72,60,000/-	72,60,000/-

4) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-235 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष- 0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपत्रकोड 02-2404007960101, माँग संख्या-02 अंतर्गत विषयशीर्ष-3301-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से होगा।

(कृ०पृ०ऊ०)

- 6) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।
- 7) विभागीय राज्यादेश संख्या-4345, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित (09) नौ जिला गव्य विकास कार्यालय के संदर्भ में गव्य प्रक्षेत्र की स्वीकृत विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को लक्ष्य अनुरूप राशि आवंटित किया गया है। फलस्वरूप विभागीय राज्यादेश संख्या-4345, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित (09) नौ जिला गव्य विकास कार्यालय के क्रियाशील होने के पश्चात् संदर्भित योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के व्यय उपरांत अव्यवहृत राशि को संबंधित नौ जिला गव्य विकास कार्यालय को हस्तांतरित/अंतरित कर दिया जाय।
- 8) निकासी की गई राशि की विवरणी तथा कोषागार प्रमाणक संख्या तिथि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं पंजी भी संधारित करें। साथ ही त्रैमासिक व्यय विवरणी एवं मासिक व्यय विवरणी(CFMS प्रणाली में सृजित Monthly Expenditure Report एवं Report of Availibility of Allotment की प्रति सहित) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9) प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/बौंका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/मधेपुरा/मुंगेर/पूर्णिया/पटना/सुपौल/सारण/सिवान/कैमूर/प0 चम्पारण/भोजपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- 48(आ0) / पटना -15, दिनांक:- 12/01/2026
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ प्रबंधक (आई0टी0), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (गव्य)

-: विवरणी :-

बजट शीर्ष,"2404- डेरी विकास-राज्य स्कीम-102-डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404007960101 के विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी मद में राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समग्र भैंस पालन योजना के अंतर्गत 01 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान हेतु कुल ₹ 72,60,000/-(बहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन :-

	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	01 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु आवंटन (रूपये में)		कुल योग (रूपये में)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	0	363000	0	363000
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रभारी-अररिया	0	363000	0	363000
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	0	907500	0	907500
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	0	272250	0	272250
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमुई	0	453750	0	453750
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	0	363000	0	363000
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	0	453750	0	453750
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	0	726000	0	726000
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	0	363000	0	363000
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	0	363000	0	363000
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	0	272250	0	272250
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	0	363000	0	363000
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सारण	0	363000	0	363000
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीवान	0	363000	0	363000
15	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कैमूर (ममुआ)	0	363000	0	363000
16	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया)	0	544500	0	544500
17	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	0	363000	0	363000
कुल योग :-		0	7260000	0	7260000

(रूपये बहत्तर लाख साठ हजार) मात्र

12.01.26
निदेशक (गव्य)